नेताम): (क) जी हां। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुक्कुट परिसरों के निर्माण करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में आजमगढ़ जिला शामिल है। तथापि, अन्तिम रूप से स्थान तय करने का कार्य राज्य सरकार का है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की इसी वित्तीय वर्ष में ही मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है।

फूलों का उत्पादन

2022. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में फूलों का उत्पादन होता है;

(ख) वर्तमान में जिन फूलों का उत्पादन किया जा रहा है, उनके नाम तथा प्रमुख किस्में क्या-क्या हैं;

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में फूलों का उत्पादन हुआ;

(घ) पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई और वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) अलग-अलग फूलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के क्रमबद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, मोटे तौर पर उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में 1992-93 के दौरान 2.06 लाख मी॰ टन पारम्परिक फूलों तथा 45.42 करोड़ "कट" फूलों का उत्पादन किया गया था।

(ख) परम्परागत फूलों के अंतर्गत उगाये जाने वाले प्रमुख फूल हैं—गुलाब (देसी), गेंदा, चमेली, गुलवापदी क्रासदरा और एस्टर जबकि कट मूल है—गुलाब, ग्लेडिओल्स, कार्नेशन, टयूबरोस तथा आरचिड्स।

(ग) 1993-94 और 1994-95 के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) पुष्पोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1994-95 में राज्यों को कुल 148.75 लाख रुपये दिये गये थे और 1995-96 के लिए 200 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। राज्यवार जारी की गई और आवंटित धनराशि विवरण I में दी गई है। **(नीचे देखिए)** इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने "कट" फूलों के उत्पादन के लिए 1994-95 के दौरान लाभानुभोगियों को साफ्टलोन के रूप में 11.62 करोड़ रुपये सीधे ही दे दिये हैं।

(ङ) से (च) सरकार ने निर्यात के विकास एवं संवर्धन के लिए पुष्पोत्पादन की पहचान अत्यधिक फोकस वाले क्षेत्र के रूप में की है। फूलों के निर्यात को सरल बनाने संबंधी नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राज्यवार निर्गमित तथा आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना का परिव्यय	निर्गमित राशि 1994-95	आबंटन 1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.00	1.50	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	0.50	0.50

(लाख रुपये)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना को परिव्यय	निर्गमित राशि 1994-95	आबंटन 1995-96
3.	असम	3.00	0.00	0.50
4.	बिहार	5.00	0.00	1.00
5.	गुजरात	6.00	0.65	2.00
6.	गोआ	5.00	1.00	2.50
7.	हरियाणा	11.00	3.00	5.00
8.	हिमाचल प्रदेश	11.00	0.00	2.00
9.	जम्मू और कश्मीर	53.39	7.00	19.50
10.	कर्नाटक	83.39	39.80	16.00
11.	केरल	73.39	12.80	13.00
12.	मध्य प्रदेश	11.00	1.00	3.50
13.	महाराष्ट्र	93.39	9.00	20.00
14.	मणिपुर	3.00	0.50	0.50
15.	मेघालय	3.00	0.50	0.50
16.	मिजोरम	3.00	1.50	0.50
17.	नागालैंड	3.00	0.50	1.00
18.	उड़ीसा	5.00	2.00	1.00
19.	पंजाब	73.39	7.00	19.00
20.	राज्यस्थान	11.00	2.00	6.00
21.	सिक्किम	72.39	11.50	14.00
22.	तमिलनाडु	93.39	9.00	21.00
23.	त्रिपुरा	3.50	0.50	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	84.39	34.00	21.00
25.	पश्चिम बंगाल	93.39	0.00	22.00
26.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00	0.00	0.50
27.	चण्डीगढ़	1.00	0.00	0.00
28.	दादर और नगर हवेली	1.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	17.50	3.00	2.50
30.	दमन और दीव	1.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	3.00	0.50	0.50
	कुल:	860.51	148.75	200.00

विवरण-II

पुष्पोत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन

भारत सरकार द्वारा भारत से पुष्पोत्पादन से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के निर्यात को अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी क्षमता को आंकने तथा इसके निर्यात को बढ़ाने एवं देश के विभिन्न भागों में इसके निर्यातोन्मुखी उत्पादन के संबंध में सुझाव देने के लिए

विशेषज्ञ दल का गठन किया है। इस दल ने अपनी सिफारिशें 1992 के मध्य में प्रस्तुत की थीं। पुष्पोत्पादन के विकास की दिशा में हाल ही में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन हुए हैं, उनमें से कुछ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 6 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क दिनांक 1.3.1992 को अधिसूचना सं० 31/92 के तहत 55 रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इन उत्पादों में जीवित वृक्ष तथा अन्य वनस्पतियां कन्द एवं मूल एवं इनके जैसी वनस्पति कट फूल, तथा सजावटी पौधे शामिल हैं। दिनांक 28.9.88 की अधिसूचना सं० 265/88-सी० यू०एस० के अनुसार बुआई/रोपण के लिए बीज, ट्यूबर, कन्द, टहनियां अथवा पौदों को सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्रदान की गई है।

2. पौध संगरोध प्रक्रियाओं को उल्लेखनीय रूप से सुव्यवस्थित तथा सरल बना दिया गया है, ताकि बीजों, वनस्पतियों, कन्दों तथा टहनियों आदि की आयात संबंधी निकासी तेजी से हो सके। उनके संवर्द्धन खेपों की निकासी अब 6 घंटे के भीतर तथा अन्य खेपों, जिनके लिए पी०ई०क्यू० की आवश्यकता होती है उनकी निकासी दो दिनों के भीतर कर दी जाती है।

3. फूलों के बीजों तथा किसी भी वनस्पति मूल की उतक संवर्द्धन सामग्री का आयात अब बिना किसी आयात परमिट के अनुमत्य है।

4. बीज विकास संबंधी मशीनरी, मृदा की तैयारी से संबंधित मशीनरी तथा ग्रीन हाऊसों के लिए विनिर्दिष्ट माल पर लगने वाले आयात शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

5. पुष्पोत्पादन में लगी यूनिटें, चाहे वे अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात भी करती हों, ई०ओ०यू०/ ई०पी०जेड० योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयात का लाभ उठा सकती हैं। शेष 50 प्रतिशत वे घरेलू मंडी में बेच सकती है।

6. अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर लदान के लिए प्रतीक्षित निर्यात खेपों के भण्डारण के लिए "वॉक इन" प्रकार के कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। दिल्ली तथा मुम्बई में कोल्ड स्टोरेज का कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। मद्रास, बंगलौर एवं त्रिवेन्द्रम में भी उनका कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

7. कटे फूलों तथा टिशू कल्चर पौधों के हवाई निर्यात के लिए सरकार द्वारा मालभाडे पर सब्सिडी दी गई है। यह यूरोप तथा अमरीका को निर्यात के लिए आई० ए० टी० ए० मालभाड़ा दर के अधिकतम 25 प्रतिशत अथवा 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात हेतु 6 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, के अध्यधीन है।

8. बागवानी निर्यात (पुष्पोत्पादन सहित) के संबंध में मूल स्थान संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अब पौध संरक्षण सलाहकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली पौध संगरोध एवं धूम्रीकरण केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि एवं बागवानी निदेशकों एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कुछ अन्य संबंधित अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है।

बेलाडीला में अप्रयुक्त लौह अयस्क

2023. **श्री अजीत सिंह जोगी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बस्तर के बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र में वर्षों से पड़े अप्रयुक्त लौह अयस्क की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों से लोहा और इस्पात निकाल पाना अभी भी संभव है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) खनन और प्रक्रमण के पश्चात उत्पादित लगभग 250 लाख टन अप्रयुक्त लौह अयस्क चूरा बैलाडिला क्षेत्र में एन०एम०डी०सी० की खानों में पड़ा हुआ है।

(ख) जी, हां। अप्रयुक्त लगभग 250 लाख टन चूरे में से 180 लाख टन चूरा सिन्टर में परिवर्तन करने के लिए तथा इस्पात संयंत्रों में लोहा एवं इस्पात निष्कर्षण के लिए प्रक्रमण हेतु प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने योग्य है।

शेष 70 लाख टन चूरा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसमें लौहांश कम है, को उसके लौहांश में सुधार करने के लिए उनके सज्जीकरण के पश्चात तथा अशुद्धता कम करके उपयोग किया जा सकता है।

(ग) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के चालू होने के बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को सप्लाई करने के